

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019- 60/19-20 50 स्वी०

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिनू, राँची।

राँची, दिनांक :- 25.10.19

द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना अन्तर्गत गालूडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 10.166 से कि०मी० 12.93 के बीच नहर निर्माण के क्रम में Shifting of 11 KV Power line crossing by 2 Nos. - 11KV X LPE 630 Sq.mm. under Ground cable कार्य के भुगतान हेतु रु० 25,19,909/- (रुपये पच्चीस लाख उन्नीस हजार नौ सौ नौ) मात्र की राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत।

- सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के कार्यों हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जल संसाधन विभाग के पत्रांक- 19/10-11 दिनांक 14.10.2010 द्वारा प्रदान की गयी है।
- परियोजनान्तर्गत बराज प्रमण्डल, गालूडीह के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत गालूडीह बाँयी मुख्य नहर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रमण्डल हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में Ongoing Schemes के लिए रु० 8245.07 लाख का कार्यक्रम निर्धारित है।
- गालूडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 10.166 से कि०मी० 12.93 के बीच नहर निर्माण के क्रम में Shifting of 11 KV Power line crossing by 2 Nos. - 11KV X LPE 630 Sq.mm. under Ground cable कार्य के भुगतान हेतु रु० 25,19,909.00 मात्र के राशि Account Officer, Electric Supply Circle, Jamshedpur को उपलब्ध कराया जाना है।
- वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत ज्ञाप संख्या- एम०-4-05/98-2561(वि०)(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-15 एवं 16 तथा मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्प्लेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर के पत्रांक- 1416 दिनांक 27.08.2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में विषयांकित कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह को एक मुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	प्रमंडल का नाम	अग्रिम प्राप्तकर्ता	स्वीकृत अग्रिम की राशि
1	2	3	4
1.	कार्यपालक अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह	Account Officer, Electric Supply Circle, Jamshedpur	रु० 25,19,909.00
कुल :-			रु० 25,19,909.00

6. अग्रिम निकासी की राशि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आवंटन में वर्णित शीर्ष "मांग सं०-49- जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-45- निर्माण कार्य (49S-4700-80-796-13-05-45) के अन्तर्गत उपलब्ध आवंटित राशि से भारित होगा।
7. अग्रिम निकासी हेतु आवंटित राशि वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत है तथा संबंधित अवधि में राशि व्यय करने के लिये विभाग को सक्षमता है।
8. राशि की निकासी घाटशिला उप कोषागार से की जायगी।
9. अग्रिम निकासी प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की अनुमति प्राप्त है।
10. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है।
11. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019-

...../राँची, दिनांक :- 25.10.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019-

...../राँची, दिनांक :- 25.10.19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्प्लेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, गालूडीह/ कार्यपालक अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019-

...../राँची, दिनांक :- 25.10.19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को (दो प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 07/वि०शा०/सु०रे०परि०-14-05/2019-

...../राँची, दिनांक :- 25.10.19

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव